SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

CIN - U28133RJ2008PLC025821

Works :
Basti Road, P.O. Barajamda
Dist. West Singhbhum
Jharkhand - 833221

Contact :
+91 62008 26505
+91 62008 26508
+91 98307 96220

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चाईबासा वन प्रमंडल,
चाईबासा ।

विषयः— **श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लि0 द्वारा स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः— **भवदीय कार्यालय पत्रांक 576 दिनांक 07.04.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति / निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित है :—

1. **पृच्छा संख्या — 1** में राज्य सरकार द्वारा 1.66 हे0 भू—खण्ड प्रयोक्ता अभिकरण को किस आदेश/दिनांक द्वारा दिया गया है ।

हमारी कम्पनी द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के नोवामुण्डी अंचल अन्तर्गत मौजा — बड़ाजामदा, खाता न0 05, में 19.41 एकड़ भूमि कम्पनी के पक्ष में बन्दोवस्ती हेतु प्रस्ताव दिनांक 01.04.2005 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में समर्पित किया गया था । उक्त प्रस्तावित भूमि 19.41 एकड़ में से मात्र 6.48 एकड़ भूमि लीज बन्दोवस्ती हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञाप संख्या 134 दिनांक 09.03.2006 (छायाप्रति संलग्न; **अनु0 — 1**) द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में हमारी कम्पनी द्वारा 6.48 एकड की कुल सलामी राशि 37,26,163/— (सैंतीस लाख छब्बीस हजार एक सौ तिरसठ) रूपए का 80 प्रतिशत राशि अर्थात 29,80,930/— (उनतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ तीस) रूपए निदेशानुसार कोषागार चालान दिनांक 11.07.2006 एवं 31.07.2006 द्वारा जमा की गई (छायाप्रति संलग्न; **अनु0 — 2**)। तदोपरान्त उक्त 6.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती किये जाने के पूर्व जाँच के क्रम में 4.00 एकड भूमि का खतियान में किस्म जंगल'—झाड़ पाये जाने की स्थिति में मात्र 2.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती की स्वीकृति उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 875(B)/र दिनांक 23.08.2007 (छायाप्रति संलग्न; **अनु0 — 3**) द्वारा हमारी कम्पनी के पक्ष में 30(तीस) वर्षो अर्थात दिनांक 17.12.2007 से 16.12.2037 तक के लिए प्रदान की गयी । शेष 4.00 एकड भूमि का किस्म जंगल.—झाड़ी होने के कारण वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति की अनुशंसा की गई । पुनः उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा FRA के तहत प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने हेतु ग्राम सभा आयोजित किये जाने के क्रम में जाँचोपरान्त 0.11 एकड़ भूमि का किस्म जंगल—झाड़ी पाई गई ।

इस प्रकार प्रस्तावित 6.48 एकड़ भूमि में से 4.00 एकड़ एवं 0.11 एकड़ कुल 4.11 एकड़ अर्थात 1.66 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के लिए उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के क्रमशः पत्रांक 663 (B)/र दिनांक 12.07.2007 एवं ज्ञापांक 378 (A) दिनांक 28.12.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है । (छायाप्रति संलग्न; **अनु0 – 4 एवं 5**)

2. **पृच्छा संख्या – 3** में राजस्व वन भूमि के गैर–वानिकी उपयोग के पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा आज दिनांक तक की गई कार्रवाई की विवरण की मांग की गई है ।

उक्त 6.48 एकड़ भूमि की बन्दोवस्ती किये जाने के पूर्व जाँच के क्रम में 4.00 एकड भूमि का किस्म जंगल–झाड़ी पाये जाने के पश्चात् उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 663(B)/र दिनांक 12.07.2007 के आलोक में भवदीय कार्यालय पत्रांक 1685 दिनांक 02.08.2007 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार हमारी कम्पनी द्वारा दिनांक 16.08.2007 को उक्त जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्ताव 10(दस) प्रतियों में भवदीय कार्यालय में समर्पित किया गया था। उक्त समर्पित प्रस्ताव के संबंध में भवदीय कार्यालय पत्रांक 1832 दिनांक 21.08.2007 (छायाप्रति संलग्न; **अनु0 – 6**) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई । उन पृच्छाओं यथा; समतुत्य क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर–वनभूमि की उपलब्धता एवं उसकी उपयुक्ता आदि के निराकरण में निरन्तर प्रयास के बावजूद कुछ कारणों से अत्यधिक विलम्ब हो गया । इसी बीच भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों में संशोधित करते हुए वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव Parivesh Portal पर upload किये जाने का प्रावधान किया गया ।

तदोपरान्त हमारी कम्पनी द्वारा उक्त 1.66 हे0 भूमि (जंगल–झाड़ी) के अपयोजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधान के तहत् पुनः दिनांक 19.11.2019 को प्रस्ताव Parivesh Portal पर upload किया गया । उक्त प्रस्ताव पर भवदीय के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की गई है ।

भवदीय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों / निराकरण के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे ।

सधन्यवाद,

अनुग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

01/05/2025

श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत

(2) अनु०-1

BIPL, Jaipur

Date of R 17/8/2006

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

(राजस्व शाखा)

ज्ञाप संख्या – 134 /रा० दिनांक – 9.3.06

प्रेषित,

मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
48 इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवारा
जयपुर, 302012 राजस्थान (भारत)

नोवामुण्डी अंचल अर्न्तगत मौजा बड़ाजामदा, थाना नं० 774, खाता नं० 05, रकबा 19.41 (उन्नीस एकड़ एकतालिस डिसमिल) भूमि की लीज बन्दोवस्ती अपनी संस्था के साथ करने का प्रस्ताव आपके द्वारा समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तावित भूमि में से कुल 6.48 एकड़ (छः एकड़ अड़तालिस डिसमिल) भूमि की लीज बन्दोवस्ती प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है, जिसकी सलामी राशि 37,26,163 (सैंतीस लाख छब्बीस हजार एक सौ तिरसठ) रुपये निर्धारित की गई है।

अनुरोध है कृपया उक्त राशि का 80 प्रतिशत राशि कुल 29,80,930 (उन्तीस लाख अस्सी हजार नौ सौ तीस) रुपये शीर्ष 0029 भू–राजस्व, लघु शीर्ष 101 नगद तहसील कचहरी मद में कोषागार चालान द्वारा जमा कर मूल चालान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल करने का कष्ट करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

ह०/-
अपर उपायुक्त
[illegible] सिंहभूम, चाईबासा।

FAX No. 0141-2340807

अनु॰ 2

(5)

अनुच्छेद 14 (क)
Para 14 (a)

खोये हुए/गुमशुदा चालान के स्थान पर प्रमाण पत्र
CERTIFICATE IN LIEU OF LOST/MISPLACED CHALLAN

प्रमाणित किया जाता है कि .... शाखा द्वारा .... पद .... शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी लेखा में जमा राशि हेतु रक्षा/रेलवे/डाक/दूर संचार विभाग के नामित सरकारी प्राधिकारी की ओर से रु .... (रुपये .... केवल) की एक राशि प्राप्त की गई थी। राशि .... क्रम संख्या में .... पर .... दिनांक के स्क्रॉल में सम्मिलित की गई है।

Certified that a sum of Rs 25,00,000=00 .... (Rupees Twenty five lac only .... only) was received from ~~designated govt. authority of Defence/Railways/Posts/Telecommunications~~ M/S Balaji Industrial Products Ltd. on account of Salami of Lease Settlement ...for credit to ~~Central Government~~ State Government account under the head 2001 (0029) on 19.04.06 by State Bank of India, Chaibasa branch. The amount has been included in the scroll dated 19.04.06 at Sr. No. 013001

दिनांक :

Date : 31.07.2006

BRANCH MANAGER S. B. I. CHAIBASA

शाखा प्रबन्धक

Branch Manager

भारतीय स्टेट बैंक

.... शाखा

STATE BANK OF INDIA

CHAIBASA Branch

अनु॰ - 2

(4)

under Rs. 4,80,931/-00 (Four Lakhs eighty thousand nine hundred thirty one) only.

Original

चालान नं० CHAIBASA

चालान बाबत नगद रुपया जो मुकाम CHAIBASA के ~~रिजर्व~~ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाखिल किया जाय।

भेजने वाला भरेगा				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम या ओहदा और पता उस आदमी का जिसके तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपये का और हुकम का अगर कोई हो पूरा ब्योरा	रकम	हिसाब का मद	जिलाधी पदा० जिसके द्वारा रकम समयोजित की जायेगी	बैंक का हुकम
नाम– दस्तखत–	M/s Balaji Industrial Products Limited Baxajamda, Singhbhum West, Jharkhand	For Land Lease	4,80,930/-00	शीर्ष 0029 भू-राजस्व लघु शीर्ष 101		सही है ले लीजिए रसीद दे दीजिए रुपया दाखिल करने का हुकम देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा तारीख–

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने का हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

X लवजों में रुपया Rs. Four Lakhs eighty thousand nine hundred Thirty only.

रुपया मिला।

ट्रेजरर.................... एकाउन्टेन्ट.................... तारीख.................... ट्रेजरी अफसर या एजेन्ट..........

नोट १. ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत ५०० रुपये से कम की रकम के लिए रसीद पर ट्रेजरी अफसर की दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तख्त की जरूरत है लेकिन सर्विस स्टॉप के लिए दिए हुए नगद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तख्त होना चाहिए। एस०आर० ३। नोट २ दाखिल किए गए रकमों का ब्योरा पुस्तक पर दिया जाना चाहिए नोट ३ उन हालतों में जहां सीधे बैंक में अमानत करने का ईजाज्त है वहां हिसाब का 'मद' वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से जैसी हालत हो बैंक का रोजाना फर्द के पाने पर भरा जायगा।

अनु० - 3

(229)

उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय
(राजस्व शाखा)

पत्रांक: ...(13) /रा

दिनांक: 23 08-2007

श्री बालाजी इंड्रस्ट्रीज प्रा० लि०
जयपुर, बड़ाजामदा, प० सिंहभूम।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा बड़ाजामदा, थाना नं. 774, खाता नं. 06, प्लॉट नं. क्रमशः 2218, 2223, 2228, 2298, 2305, 2301, 2302 एवं 2300 कुल रकवा 2.48 एकड़ जमीन पर जमा राशि के शर्त्त पर अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए उपायुक्त प. सिंहभूम, चाईबासा ने स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में एकरारनामा हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

अपर उपायुक्त
प. सिंहभूम, चाईबासा

Naveen Jha Cores .doc 132

(10) अनु० - 4

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(राजस्व शाखा)

पत्रांक – 663 वी/रा० दिनांक 12-7-07

प्रेषक :
उपायुक्त,
प० सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
दक्षिण क्षेत्र चाईबासा।

विषय : नोवामुण्डी अंचल अर्न्तगत सर्व श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्टस लि० द्वारा अधियानि बड़ा जामदा मौजा में 4.00 एकड़ अनावाद भूमि के अनापत्ति के समवंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 405, दिनांक 14.02.07 एवं 611 दिनांक 8.03.07

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करें। सर्व श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट बड़ा जामदा को 4.00 एकड़ भूमि का गैरवाणिकी प्रयोजन हेतु आनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल किया जाता है :

मौजा	खाता नं.	आसामि का नाम	खेसरा नं.	किस्म जमीन	रकवा
बड़ा जामदा	05	अनावाद मालिक	2243	जंगल–झाड़ी	4.00

अतः अनुरोध है कि अग्रसर कार्रवाई करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि मैसर्स बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्टस लि० बड़ा जामदा के नाम से विषयगत भूमि का पट्टा निर्गत किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-
उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अनु. - 5

Scanned with OKEN Scanner

अनु॰ - 5

378(A) दिनांक 28-12-2022

Scanned with OKEN Scanner

~~Annex – 8~~ अनु. – 6

कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिण वन प्रमण्डल ।

पत्रांक 1832 / दिनांक 31.8.07

सेवा में,

सर्वश्री बालाजी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट लि0
बस्ती रोड, बड़ाजामदा
जिला–प0 सिंहभूम, (झारखण्ड)।

विषय :– 4.00 एकड़ गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक शून्य दिनांक 16.8.2007

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव त्रुटियुक्त है। अनुरोध है निम्नलिखित त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव शीघ्र समर्पित की जाय जिसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

1. प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में मात्र आवेदित क्षेत्र दर्शाया गया है पूर्ण परियोजना से संबंधित क्षेत्र नहीं दर्शायी गयी है।
2. परियोजना से संबंधित गैर वन भूमि की विवरणी एवं खतियान उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा आवेदित जंगल झाड़ी भूमि से संबंधित खतियान संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ आवेदित भूमि संबंधित मूल टोपो शीट संलग्न नहीं है।
4. सुरक्षा पट्टी से संबंधित नक्शा एवं आकलित क्षेत्रफल त्रुटियुक्त है।
5. लागत–लाभ विश्लेषण त्रुटियुक्त संलग्न की गयी है।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुलग्नकों पर अनुलग्नक संख्या अंकित नहीं है एवं संलग्न अनुलग्नकों को प्रमाण पत्र / अभिलेख में नहीं दर्शाया गया है।
7. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल से संबंधित पूर्ण विवरणी अपेक्षित है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूल रुप में नौ प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न वापस की जा रही है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा दक्षिण वन प्रमण्डल